

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / निजी / 36(10) / 19

दिनांक : 14.03.2020

थानाधिकारी

पुलिस थाना — बीछवाल

बीकानेर।

विषय :— फ़ैक मैसेज के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही बाबत।

उपर्यक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से एक फ़ैक मैसेज वाट्सअप पर विभिन्न ग्रुपो में वायरल किया गया, जो निम्नानुसार है।

जिंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं

कोई भी स्कूल में शिक्षक, विद्यार्थी को विद्यालय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 30 मार्च तक विद्यालय में सभी कर्मिकों और बच्चों का अवकाश रहेगा। कोई संस्था लापरवाही क रती है त्वरित प्रभाव से मान्यता रद्द होगी। किसी की जिंदगी से न खेले कोरोना का कोई इलाज नही है। बचाव ही उपचार है। कोई भी विद्यालय सरकारी, निजी में बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी विद्यार्थी क को प्रवेश न दे सिर्फ परीक्षा केंद्र पर ही प्रवेश होगा। किसी भी निजी विद्यालय कर्मचारी की तनख्वाह काटने पर विद्यालय प्रबंधन से बिना कारण पूछे स्थायी तौर पर मान्यता रद्द की जाएगी।

आओ हम लड़े कोरोना से

राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई विद्यालय खुला मिले तो त्वरित मुझे सूचित सूचित कर क कोरोना के खिलाफ मुहिम में सहयोग दें।

निवेदक

सौरभ स्वामी

शिक्षा निदेशक-बीकानेर (राजस्थान)

दूरभाष-8792768494

नोट- 24 घण्टे आप मुझे सूचना दे सकते हो।

उक्त मैसेज के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता के मोबाईल पर लगातार अनेकों फोन आने लगे व राज कार्य बाधित हुआ। विभाग के विद्यालयों एवं कार्यालयों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उक्त फ़ैक मैसेज फैलाने वाले की पहचान कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर सूचित करावे।


(सौरभ स्वामी)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपि : श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

General Diary Details (रोजनामचा का विवरण)

State (राज्य): राजस्थान

District (जिला): बीकानेर

P.S. (थाना): बीछवाल

- a) G.D. No. (दैनंदिनी सं.): 040
b) G.D. Date (दैनंदिनी दिनांक): 14/03/2020 17:15 PM
c) G.D. Type (दैनंदिनी प्रकार): अन्य
d) G.D. Sub Type (दैनंदिनी उप): अन्य
e) Beat Area (बीट क्षेत्र):
f) FIR Number (प्र.सू.रि.स.):

LIST OF STAFF (कर्मचारियों की सूची):

S.No. (सी.)	Name (नाम)	Rank (पद)	SSO ID (एसएसओ आईडी)
1	Manoj Kumar Sharma	निरीक्षक	RJGA199935009877

g) GD Subject (रोजनामचा विषय): रपट दर्ज

h) GD Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

इस समय एक लिखित रिपोर्ट श्री रोहताश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र जाति जाट उम्र 37 साल निवासी ग्राम पोस्ट लीलको तहसील राजगढ़ जिला चुरु हाल स्ट्राफ ऑफीसर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने उपस्थित थाना होकर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर क्रमांक शिविरा / माध्यम / निजी / 36(10) / 19 दिनांक 14.03.2020 थानाधिकारी पुलिस थाना बीछवाल बीकानेर। विषय फैंक मैसेज के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही बाबत। उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से एक फैंक मैसेज वाट्सअप पर विभिन्न ग्रुपो में वायरल किया गया, जो निम्नानुसार है जिन्दगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं कोई भी स्कूल में शिक्षक, विधार्थी को विद्यालय के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। 30 मार्च तक विद्यालय में सभी कर्मिको आर बच्चो का अवकाश रहेगा। कोई संस्था लापरवाही करती है त्वरीत प्रभाव से मान्यता रद्द होगी। किसी कि जिन्दगी से न खेले कोरोना का कोई इलाज नहीं है बचाव ही उपचार है। कोई भी विद्यालय सरकारी, निजी में बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी विधार्थी को प्रवेश न दे। सिर्फ परीक्षा केन्द्र पर ही प्रवेश होगा। किसी भी निजी विद्यालय कर्मचारी की तनख्वाह काटने पर विद्यालय प्रबन्धन से बिना कारण पुछे स्थाई तौर पर मान्यता रद्द की जावेगी। आआं हम लडे कोरोना से राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई विद्यालय खुला मिले तो त्वरीत मुझे सूचित कर कोरोना के खिलाफ मुहिम में सहयोग दे। निवेदक सौरभ स्वामी शिक्षा निदेशक बीकानेर (राजस्थान) दुरभाष 8792768494 नोट 24 घण्टे आप मुझे सूचना दे सकते हो। उक्त मैसेज के कारण अधोहस्ताक्षर कर्ता के मोबाईल पर लगातार अनेको फोन आने लगे व राज्य कार्य बाधित हुआ। विभाग के विद्यालयों एवं कार्यालयों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उक्त फैंक मैसेज फैलाने वाली की पहचान कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर सूचित करावे। एसडी (सौरभ स्वामी) आईएस निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रतिलिपि श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से दुरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एसडी सौरभ स्वामी निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रसस्तुत की उक्त रिपोर्ट की रोजनामचा आम में रपट दर्ज कर जाँच सुश्री सुमन शेखावत उनि के जिम्मे की गई।

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की): 14/03/2020 17:15 बजे


Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट): Manoj Kumar Sharma
I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name: Manoj Kumar Sharma

Rank: निरीक्षक

No. (सं.):


थानाधिकारी
पुलिस थाना बीछवाल
जिला बीकानेर